



समक्ष माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र०)

राजस्व पुनरीक्षण क्रमांक / / भारत/2621/2018/छिंदवाडा/भूर्ख

- 1— झगड़ा आयु 65 वर्ष पिता रामलाल जाति गोंड (वृद्ध एवं विकलांग) निवासी पोआमा तह0 व जिला छिंदवाडा पुनरीक्षणकर्ता / आवेदक

मध्यप्रदेश शासन,
द्वारा जिलाध्यक्ष छिंदवाडा अनावेदक

मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण

पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर के समक्ष सविनय यह पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है :—

- 1— यह कि, म0प्र० भू०रा०सं० 1959 की धारा 165 में अधिसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति कृषकों के हित में उनके स्वामित्व की कृषि/अकृषि भूमि गैर आदिवासी क्रेताओं के पक्ष में विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध किया गया है लेकिन अधिसूचित क्षेत्र से भिन्न क्षेत्रों में आदिवासी कृषकों की भूमियों के अंतरण पर प्रतिबंध न लगाते हुए संबंधित जिले के कलेक्टर को आदिवासियों की भूमि पर विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने हेतु भी स्पष्टतः प्रावधानित किया गया है ।
- 2— पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक जातिगत गोंड हैं और ग्राम पोआमा तह0 व जिला छिंदवाडा के स्थाई निवासी हैं । आवेदक ग्राम पोआमा प0ह0नं० 5 रा०नि०मं० छिंदवाडा तह0 छिंदवाडा (अधिसूचित क्षेत्र से बाह्य ग्राम) जिला छिंदवाडा में स्वयं के भूमि स्वामी अधिकारों में कृषि भूमि ख०नं० 9/1 एवं 11/1 रकबा क्रमशः 0.171 एवं 1.153 कुल रकबा 1.324 हेठो धारण करता है । यह कृषि भूमि राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम पर भूमि स्वामी हक में दर्ज है । उपरोक्त कृषि भूमि आवेदक की पैतृक कृषि भूमि है जो पिता रामलाल के निधन उपरांत उत्तराधिकार एवं बटवारे में प्राप्त हुई है उपरोक्त कृषि भूमि पर आवेदक का निर्विवाद रूप से स्वामित्व एवं कब्जा भी निरन्तर चला आ रहा है । आवेदक वृद्ध एवं विकलांग होने की स्थिति में उक्त भूमि को कास्त करने में अक्षम होने के कारण अपने परिवार के जीविकोपार्जन, बीमारी के इलाज एवं बैंक कर्ज अदायगी के लिए रूपयों की आवश्यकता होने के कारण जिलाध्यक्ष छिंदवाडा (म0प्र०) के समक्ष ग्राम पोआमा ब०नं० 350 प0ह0नं० 5 रा०नि०मं० छिंदवाडा तह0 छिंदवाडा (अधिसूचित क्षेत्र से बाह्य ग्राम) स्थित भूमि स्वामी कृषि भूमि ख०नं० 9/1 एवं 11/1 रकबा क्रमशः 0.171 एवं 1.153 कुल रकबा 1.324 हेठो गैर आदिवासी

(3)

PLZ

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निगरानी/2621/2018/छिंदवाड़ा/भू0रा0

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03/05/18	<p>प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी कलेक्टर, छिंदवाड़ा के प्रकरण क्रमांक 89/अ-21/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 20-4-18 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया। यह प्रकरण भूमि विक्रय की अनुमति के संबंध में है। आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम पोआमा ब0नं0 350 प0ह0नं0 5 तहसील व जिला छिंदवाड़ा स्थित भूमि खसरा नं0 9/1 एवं 11/1 रकबा 0.171 एवं 1.153 हैक्टर कुल रकबा 1.324 हैक्टर को गैर आदिवासी को विक्रय करने की अनुमति चाही गई है। आलोच्य आदेश द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने यह मानते हुए कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक 5-3-76-384-सात-न 1 दिनांक 21-2-1977 म0प्र0 राजपत्र दिनांक 11-3-1977 के अनुसार अंतरण पर रोक विनिर्दिष्ट दिनांक 26 जनवरी, 1977 के पश्चात आदिम जनजाति के विनिर्विष्ट क्षेत्र के भूमिस्वामी अधिकारों के बगैर आदिम जनजाति के व्यक्ति के हित में अंतरण पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है और चूंकि आवेदक अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति हैं और वे गैर आदिवासी को भूमि विक्रय करना चाहते हैं। उक्त आधार पर कलेक्टर ने</p>	

आवेदक के आवेदन को ग्राह्य योग्य न मानते हुए निरस्त किया है। इस संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि उक्त प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं। यह भी कहा गया कि आवेदित भूमि शासकीय पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है आवेदक की अर्जित भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी प्रकार की जांच कराए एवं प्रकरण के तथ्यों को अनदेखा कर गलत आधार पर आवेदन निरस्त किया है। शासकीय अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि उपरोक्त स्थिति में प्रकरण पुनः आदेश हेतु भेजा जा सकता है।

4/ उभयपक्षों के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में संहिता की धारा 165 के प्रावधानों का अवलोकन किया गया। यह सही है कि कलेक्टर द्वारा राज्य शासन की जिस अधिसूचना का हवाला दिया गया है उसके अनुसार आदिम जनजाति क्षेत्र में छिंदवाड़ा जिले की छिंदवाड़ा, सौंसर एवं अमरवाड़ा तहसील सम्मिलित थी परंतु इसके उपरांत संहिता की धारा 165 (6क) से (6डड) तक के प्रयोजन के लिए भारत के असाधारण राजपत्र भाग-II-ख-3 (i) में प्रकाशित अधिसूचना सा.का.नि.797 (अ) दिनांक 31 दिसम्बर 1977 द्वारा भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के छठे पैरा के उपपैरा (2) द्वारा बिहार, गुजरात, मध्यप्रदेश एवं उड़ीसा राज्य के लिए अनुसूचित क्षेत्र घोषित किये गये हैं। मध्यप्रदेश के लिए घोषित अनुसूचित क्षेत्र की अनुसूची सरल क्रमांक 21 पर छिंदवाड़ा तहसील के तामिया और जामाई जनजातीय विकासखंड, पटवारी सर्किल क्रमांक 63 से 68 और क्रं 72 और 73 पटवारी सर्किल क्रं 62 के सीरगांव खुद और किरवानी-गांव, पटवारी सर्किल क्रमांक 69 के मैनावाड़ी और गगौली परासिया गांव तथा पटवारी सर्किल क्रं 97 का गांव

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निगरानी/262।।/2018/छिंदवाड़ा/भू0रा0

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>बम्हनी इस प्रयोजन के लिए अधिसूचितक्षेत्र हैं। इस अनुसूची में ग्राम पोआमा ब0नं0 350 प0ह0नं0 5 तहसील व जिला छिंदवाड़ा जहां प्रश्नाधीन भूमि स्थित है का कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रकार यह पाया जाता है कि वादग्रस्त भूमि अधिसूचित क्षेत्र में स्थित होने से संहिता की धारा 165 (6क) से (6डड) के बंधन से मुक्त है। इस प्रावधान को अधीनस्थ न्यायालय ने अनदेखा किया है। अतः उक्त विधिक स्थिति तथा आवेदकों की ओर से विक्रय की अनुमति दिए जाने के लिए उल्लिखित किये गये आधारों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदकों को उनके भूमिस्वामित्व की आवेदित भूमि को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है। अतः कलेक्टर, छिंदवाड़ा पारित आलोच्य आदेश निरस्त किया जाता है तथा आवेदक को उनके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम पोआमा ब0नं0 350 प0ह0नं0 5 तहसील व जिला छिंदवाड़ा स्थित भूमि खसरा नं0 9/1 एवं 11/1 रकबा 0.171 एवं 1.153 हैक्टर कुल रकबा 1.324 हैक्टर को गैर आदिवासी को विक्रय करने की अनुमति इन शर्तों के साथ प्रदान की जाती है कि प्रस्तावित क्रेता द्वारा विक्रयपत्र के निष्पादन के समय प्रचलित कलेक्टर गाइड लाइन एवं बाजार मूल्य जो भी अधिक हो की दर से भूमि का मूल्य आवेदक को अदा किया जायेगा। उप पंजीयक को यह निर्देशित किया जाता है कि वे सुनिश्चित</p>	

(3) 

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>करें कि क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि बैंकर चेक/बैंक ड्राफ्ट/नेट बैंकिंग से आवेदक के खाते में जमा की जायेगी। परिणामस्वरूप यह निगरानी स्वीकार की जाती है। पक्षकार सूचित हों।</p> <p>(३)</p>	<p>(एम. गोपाल रेड़ी)</p> <p>प्रशासकीय सदस्य</p>